कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

—: कार्य विभाजन आदेश :—

कमांक/......Q......./सां0अनु0—45/2024 टीकमगढ़, दिनांक :— २४ अगस्त, 2024

मैं हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म.प्र.) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 की उपधारा (1), धारा 10(दो) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422, 448 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक जिला टीकमगढ़ के लिये पूर्व में जारी कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश कमांक—1934/सां.अनु.—45/2024 टीकमगढ़ दिनांक 19.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ, शेष आदेश यथावत् रखा जाता है:—

कार्यविभाजन संबंधी विविध आदेश के पृष्ठ कमांक 18 पर अंकित नोट कमांक 10 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार नोट कमांक 10 को स्थापित किया जाता है :—

''10. चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के रिक्त एम.ए.सी.टी. न्यायालय से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य मान्नीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा। पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के रिक्त एम.ए.सी.टी. न्यायालय से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य मान्नीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा। **उक्त के अतिरिक्त अन्य जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के रिक्त न्यायालयों** से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य मान्नीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश **जतारा** के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य मान्नीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापिसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, **जतारा** द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा। ''

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)

(1-23)

पृ0कमांक / 2897 / सां0अनु0–45 / 2024 टीकमगढ, दिनांक :– 28 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान्नीय पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय (टीकमगढ़), म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर (म0प्र0)
2. मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर (म0प्र0)
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान्नीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर (म0प्र0)
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (म0प्र0)
5. कलेक्टर, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ / निवाड़ी (म0प्र0)

– की ओर ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित्।

7. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) टीकमगढ़ (म0प्र0)
8. समस्त जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी (म0प्र0)
9. तृतीय जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के रिक्त न्यायालयों से संबंधित चैक बुक, पासबुक एवं रजिस्टर आदि को संबंधित न्यायालयों को अविलंब प्रदाय करें।
10. प्रभारी अधिकारी, (फाईलिंग काउन्टर) टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
11. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी टीकमगढ़
12. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
13. रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, टीकमगढ़
14. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय टीकमगढ़ / निवाड़ी
15. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड टीकमगढ़ / जतारा / निवाड़ी / ओरछा
16. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रशिक्षु न्यायाधीश) टीकमगढ़
17. प्रस्तुतकार, न्यायालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)
18. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ, टीकमगढ़ (म0प्र0)
19. अध्यक्ष अभिभाषक संघ जतारा / निवाड़ी / ओरछा जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)
20. प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम / द्वितीय, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़
21. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
22. संबंधित श्री ....

– क. 7 लगायत 21 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल के माध्यम से प्रेषित्।

23. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को संबंधित उक्त अधिकारीगण की ओर ई–मेल के माध्यम से अविलंब प्रेषित् करावें तथा जिला न्यायालय टीकमगढ़ की बेबसाईट पर अविलंब अपलोड करावें।

संलग्न– विविध आदेश

(हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म0प्र0)